दिनांक 13.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 13/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित स्वतंत्रता सप्ताह तथा हर घर तिरंगा कार्यक्रम व स्वतंत्रता दिवस–2022 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर सम्पूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव गरिमामय रूप से पूरे हर्षो उल्लास के साथ मना रहा है। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस कार्मिको को **''आजादी का अमृत महोत्सव''** के अवसर पर **स्वतंत्रता सप्ताह** (दिनॉकः 11.08.2022 से 17.08.2022 तक) **तथा ''हर घर तिरंगा कार्यक्रम''** के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशो का प्रभावी अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव से सम्बन्धित विभिन्न आयोजनों के अन्तर्गत प्रदेश में निम्न कार्यवाही की गयी :–

- दिनॉकः 12.08.2022 को **हर घर तिरंगा कार्यक्रम** के अर्न्तगत समस्त जनपद/कमिश्नरेट के **1863** पुलिस कार्यालयों, **1570** पुलिस थानों, **3756** चौकियों, **1921** पुलिस बूथों, **34,669** पुलिस आवासों व **2900** अन्य भवनो पर तिरंगा झण्डा लगाये गये।
- दिनॉकः 12.08.2022 को पुलिस/पीएसी के बैण्ड द्वारा समस्त जनपद/कमिश्नरेट में शहीद स्थलों/स्मारकों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जनमानस के समक्ष राष्ट्रधुन वादन किया गया।
- दिनॉकः 12.08.2022 को समस्त जनपद/कमिश्नरेट में हॉफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें **18,427** से अधिक पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- दिनॉकः 12.08.2022 को समस्त जनपद/कमिश्नरेट के प्रभारी पुलिस अधिकारियों द्वारा **3120** पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उद्बोधन किया गया।
- दिनॉकः 12.08.2022 को समस्त जनपद/कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा **तिरंगा रूट मार्च/फुट पेट्रोलिंग** की गयी, जिसमें कुल **1072 टीमों द्वारा 2447.5 किलोमीटर रूट मार्च** किया गया।
- दिनॉकः 11.08.2022 को कुल **637 तिरंगा यात्रा,** दिनॉकः 12.08.2022 को **340** तिरंगा यात्रा सम्पन्न हुई तथा आज दिनॉकः 13.08.2022 को **1467** तिरंगा यात्रा प्रस्तावित है।
- दिनॉकः 13.08.2022 को प्रदेश की समस्त पुलिस लाइन/पीएसी वाहिनी में बच्चों का सम्मान तथा पुलिस लाइन/पीएसी वाहिनी/प्रशिक्षण संस्थान परिसर में सांस्कृतिक वीर–रस संध्या कार्यक्रम का आयोजन भी प्रस्तावित है।

आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस मुख्यालय सहित प्रदेश के जनपद/इकाईयों में वृक्षारोपण किया गया

आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता सप्ताह तथा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत आज दिनांक 13.08.2022 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, पुलिस महानिदेशक विशेष जॉच, पुलिस महानिदेशक एसआईटी, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक ट्रेनिंग, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर सेल, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ अपर पुलिस महानिदेशक ट्राफिक सहित

अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार परिसर में शमी, रूद्राक्ष, आवला, अमरूद, बेल आदि विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया गया।

मुख्यालय के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जोनल कार्यालय, परिक्षेत्रीय कार्यालय, इकाइयों, कमिश्नरेट एवं जनपदों में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता सप्ताह के अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया।

स्वतन्त्रता दिवस—2022 के अवसर पर होने वाले समारोह/कार्यक्रमों में प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुये मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः—

- इस अवसर पर आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों में कार्यक्रम प्रारम्भ से पूर्व एन्टीसैबोटॉज चेकिंग कराते हुये विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किये जायें, रूफ—टॉप ड्यूटी लगायी जाय तथा सुनियोजित ट्रैफिक प्रबन्ध किये जायें।
- रेलवे स्टेशन/मेट्रो स्टेशन/बस स्टेशन/एयरपोर्ट, बाजार, सिनेमाहाल, मल्टीप्लैक्स , मनोरंजन के स्थल/शापिंग मॉल, होटल, धर्मशाला, गेस्टहाउस जैसे स्थलों/स्थानों आदि पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबन्ध किये जायें तथा सुरक्षा कर्मियों को विधिवत ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यूटी पर लगाया जाय। संवेदनशील व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।
- प्रदेश एवं जनपदों के बॉर्डर पर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाए। समस्त चेक पोस्टों को विशेष रूप से सर्तक एवं सक्रिय किया जाय।
- ग्लाइडर, ड्रोन एवं मानव रहित वायुयान, आदि की उड़ानों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।
- अवैध शस्त्रों/कारतूसों, शराब एवं विस्फोटक पदार्थो की तस्करी रोकने एवं संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु स्थायी चेक पोस्ट के अतिरिक्त अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की आकस्मिक चेकिंग करायी जाय।
- विभिन्न आवासीय कालोनियों में अभियान चलाकर किरायेदारों के सत्यापन की कार्यवाही अवश्य करा ली जाय।
- केमिकल्स की दुकानों के सत्यापन एवं चेकिंग की व्यवस्था करायी जाय।
- **आजादी का अमृत महोत्सव** के तहत प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम भव्यता से आयोजित किये जायें।

सतर्कता एवं सुरक्षा हेतु सभी कार्यवाहियां समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाय।

जनपद गाजियबाद/थाना लोनी बार्डर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.08..2022 की रात्रि थाना लोनी बार्डर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैजिक रोड लालबाग वनविभाग के जंगल मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकन का प्रयास किया गया, तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी बार्डर व दिल्ली प्रान्त में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनी बार्डर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी बार्डर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अमित निवासी दिनोद गेट बनानपाना थाना सिटी भिवानी जनपद भिवानी, हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद हाथरस/थाना सादाबाद</u>

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)**
- **बरामद**

दिनांक 12.08.2022 की रात्रि थाना सादाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नयाबाग मई को जाने वाले तिराहे से 04 शातिर अभियुक्तों 1—सोनू उर्फ नरेश कुमार 2—प्रदीप 3—धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ छोटू 4—अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने—चॉदी के आभूषण, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू उर्फ नरेश कुमार के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, हाथरस के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त प्रदीप के विरूद्ध जनपद मेरठ, हाथरस के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ छोटू के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानों पर

चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण लूट की घटनाओ से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू उर्फ नरेश कुमार निवासी नगला रामचन्द्र भाग बढार थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

2—प्रदीप निवासी मसूरी थाना इचौली जनपद मेरठ।

3—धर्मेश उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ छोटू निवासी नरहुली थाना जलेसर जनपद एटा।

4—अभिषेक निवासी जरीपुरा थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—लूट के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद गोरखपुर/थाना गीडा

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 11 हजार 900 रूपये नगद**
- **लूट के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **लूट के अन्य सामान**
- **02 अवैध तमंचा**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.08.2022 को थाना गीडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना गीडा क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—अखिलेश उर्फ रतन 2—गोलू उर्फ सत्या 3—बेचू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 11 हजार 900

रूपये, सोने–चॉदी के आभूषण, लूट के अन्य सामान, 02 अवैध तमंचा, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अखिलेश उर्फ रतन के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग, अभियुक्त गोलू उर्फ सत्या के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त बेचू के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानो पर लूट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण लूट की घटनाओ से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गीडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अखिलेश उर्फ रतन निवासी जंगल अखलास कुवर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर।

2–गोलू उर्फ सत्या निवासी पिपरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर।

3–बेचू निवासी मुरली छपरा थाना रामकोला जनपद कुशीराम।

बरामदगी

1–लूट के 11 हजार 900 रूपये।

2–लूट के सोने–चॉदी के आभूषण।

3–लूट के अन्य सामान।

4–02 अवैध तमंचा ।

5–01 मोटर साइकिल।

———

दिनांक 13.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 14/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

स्वतंत्रता दिवस–2022 के अवसर पर प्रदेश के 10 पुलिस कार्मिकों को ''अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक–2022'' प्रदान किया गया

स्वतंत्रता दिवस–2022 के अवसर पर प्रदेश के 10 पुलिस कार्मिकों को ''अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक–2022'' (UNION HOME MINISTER'S MEDAL FOR EXCLLENCE IN INVESTIGATION FOR THE YEAR 2022) प्रदान किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य एवं आधुनिक तकनीक का समावेश कर उच्चकोटि की विवेचना कार्य के लिये ''अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृहमंत्री पदक–2022'' उ0प्र0 पुलिस कार्मिकों के प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। महोदय द्वारा पुरस्कार प्राप्त विजेता कार्मिकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुये अन्य पुलिस अन्वेषण अधिकारियों को अन्वेषण में वैज्ञानिक साक्ष्य का और अधिक प्रयोग करने पर बल दिया गया।

उक्त पदक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के उत्कृष्ट अन्वेषण कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री संसार सिंह राठी, पुलिस उपाधीक्षक

जनपद–गोण्डा में नियुक्ति के दौरान घटित सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना में वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीक का प्रयोग कर मात्र 6 घण्टे में प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 13 दिवस में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

2. श्री सविरत्न गौतम, पुलिस उपाधीक्षक, एटीएस, उ0प्र0

पीएफआई के कुछ सदस्यों द्वारा देश की एकता एवं अखण्डता सहित सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने व विद्वेष फैलाने के मकसद से घातक हथियार व विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा कर कई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों व प्रमुख हिन्दू संगठनों के बड़े पदाधिकारियों पर हमले की योजना के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

3. श्री कमलेश सिंह, निरीक्षक

जनपद आगरा में नियुक्ति के दौरान घटित सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना का मात्र 13 दिवस में अनावरण कर घटना में शामिल अभियुक्त राहुल उर्फ गोला को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मा0न्या0 द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

4. श्री सन्तोष कुमार शर्मा, निरीक्षक

जनपद फ़तेहपुर में नियुक्ति के दौरान घटित दुष्कर्म एवं हत्या की घटना से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग की विवेचना में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर 93 दिवस में विवेचना का निस्तारण किया गया,जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया।

5. श्री योगेन्द्र कुमार, निरीक्षक

जनपद बहराइच में नियुक्ति के दौरान घटित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना तत्परता से करते हुए प्रभावी पतारसी एवं सुरागरसी के जरिये 02 अभियुक्तों को प्रकाश में लाकर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मात्र 15 दिवस की अल्प अवधि में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

6. श्री शैलेश कुमार राय, निरीक्षक

जनपद सोनभद्र में नियुक्ति के दौरान घटित सामूहिक दुष्कर्म एवं डकैती की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण कर 08 अभियुक्तों को प्रकाश में लाकर गिरफ्तार करते हुये 90 दिवस में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। मा0

न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण को आजीवन कारावास एवं रुपये 20—20 हजार के जुर्माने से दण्डित किया गया।

7. श्री भैया शिवप्रसाद सिंह, निरीक्षक

जनपद जौनपुर में नियुक्ति के दौरान घटित दुष्कर्म व हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना में अभियुक्त डफाली उर्फ अच्छे को गिर0 कर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मात्र 32 दिवस में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं रुपये 25 हजार के जुर्माने से दण्डित किया गया।

8. श्री रामगोविन्द मिश्र, निरीक्षक

जनपद लखनऊ में तैनाती के दौरान मुख़्तार अन्सारी आदि द्वारा निष्क्रान्त भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

9. श्री नीरज कुमार, उपनिरीक्षक

जनपद बुलन्दशहर में नियुक्ति के दौरान घटित दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना में मात्र 07 घण्टों के अन्दर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर धारा 377 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए मात्र 15 दिवस में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं रुपये 50 हज़ार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

10. श्री सूरज कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक

जनपद वाराणसी में नियुक्ति के दौरान नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग की मदद से अभियुक्तगण द्वारा फर्जी नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना में तकनीक का प्रयोग करते हुये कुल 17 अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।